पत्रांक –3/एम०–17/2022सा0प्र0...2310.../

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफरान अहमद
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक ...28.2.... 2022

विषय– सरकारी सेवक के विरुद्ध अधिरोपित दण्ड का ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के तहत अनुमान्य वित्तीय उन्नयन पर कुप्रभाव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विभिन्न विभागों से ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के तहत किसी सरकारी सेवक को अनुमान्य वित्तीय उन्नयन की देय तिथि पर उनके विरुद्ध अधिरोपित दण्डादेश के कुप्रभाव के संबंध में रेफरेन्स प्राप्त होते रहे हैं। उक्त के आलोक में स्पष्टीकरण निर्गत किया जाना विचाराधीन था।

2. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2010 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14 में प्रावधानित शास्तियों के कुप्रभाव को स्पष्ट किया गया है।

3. विचाराधीन मामले पर सम्यक् विचारोपरान्त स्पष्ट किया जाता है कि –

(i) किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित होने पर ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के तहत वित्तीय उन्नयन को विभागीय कार्यवाही निष्पादित होने तक के लिए लंबित रखे जाने का प्रावधान है।

(ii) विचाराधीन सरकारी सेवक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में यदि उन्हें आरोप मुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उन्हें अनुमान्य वित्तीय उन्नयन की देय तिथि से ही वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दी जायेगी।

(iii) विचाराधीन सरकारी सेवक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही यदि उन्हें दण्ड अधिरोपित करने के साथ निष्पादित किया जाता है तो–

(क) सरकारी सेवक को अनुमान्य वित्तीय उन्नयन की देयता पर विचार किये जाने के पूर्व उनके विरूद्ध अधिरोपित दण्ड के कुप्रभाव अवधि की गणना की जानी होगी।

(ख) यदि सरकारी सेवक को अनुमान्य वित्तीय उन्नयन की देय तिथि उनके विरुद्ध अधिरोपित दण्डादेश के कुप्रभाव अवधि के अन्तर्गत नहीं पड़ता हो तो ऐसी स्थिति में देय तिथि से वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जाएगा।

(ग) सरकारी सेवक को अनुमान्य वित्तीय उन्नयन की देय तिथि उनके विरुद्ध अधिरोपित दण्डादेश के कुप्रभाव अवधि के अन्तर्गत पड़ता हो तो उन्हें दण्डादेश के कुप्रभाव अवधि के समाप्ति की अगली तिथि से वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दी जायेगी।

(iv) उदाहरण के लिए–

यदि किसी सरकारी सेवक को आदेश संख्या–1042 दिनांक–30.09.2018 द्वारा दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया जाय, तब दंड के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक–01.07.2019 एवं 01.07.2020 से अनुमान्य वेतनवृद्धियाँ अस्थायी रूप से अवरुद्ध होगी। वर्णित स्थिति में उनकी सेवा पर दिनांक–30.09.2018 से 30.06.2021 तक दंड का कुप्रभाव रहेगा। अतः यदि उनकी ए0सी0पी0 की देय तिथि 30.09.2018 के पूर्व की या 30.06.2021 के बाद की कोई तिथि हो तो ए0सी0पी0/MACP की देयता दंड से प्रभावित नहीं होगी। परन्तु यदि उनकी ए0सी0पी0/MACP की देय तिथि 30.09.2018 से 30.06.2021 के बीच की कोई तिथि हो, तब उन्हें दण्ड का कुप्रभाव समाप्त होने के उपरान्त दिनांक–01.07.2021 से वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जा सकेगा बशर्त्ते की उक्त तिथि को वित्तीय उन्न्यन की अनुमान्यता से संबंधित अन्य अर्हताएँ उनके द्वारा धारित की जाती हों।

(v) यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि संचयात्मक प्रभाव से वेतनवृद्धि पर रोक एवं निंदन के दंड का कुप्रभाव अवधि भी उक्त रीति से ही निर्धारित किया जायेगा। कुप्रभाव अवधि का दुष्प्रभाव सेवा सम्पुष्टि, प्रोन्नति की देय तिथि तथा ए0सीपी0/एम0ए0सी0पी0 की अनुमान्यता की तिथि पर ही पड़ेगा।

3. अतः उपर्युक्त स्पष्टीकरण के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाय। साथ ही अपने अधीनस्थों को भी उक्त से अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया जाय।

विश्वासभाजन

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।